

No.F.9-3/2017-U3 (A)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
ICR Division

Shastri Bhawan, New Delhi

Dated: 31st January, 2020

NOTIFICATION

Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution Deemed to be University.

2. **And whereas**, on the advice of UGC, the Central Government issued Notification No. 9-3/2017-U.3(A) dated 29.11.2019, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act 1956, declaring Chaitanya Degree College (Autonomous), Hanamkonda, Warangal, Telangana as an Institution Deemed to be University in the name of 'Chaitanya Institute of Science & Technology', Warangal, Telangana under general category for a provisional period of five years with prospective date.

3. **Whereas**, Vishwa Bharati Education Society, Warangal which is Sponsoring Society of the Deemed to be University, vide its letter dated 09.12.2019 has submitted that there are many Institutions with almost similar names in the State of Telangana & Andhra Pradesh, which might lead confusion in the minds of people. Accordingly, it has been requested to change the name of the Deemed University from 'Chaitanya Institute of Science & Technology (Deemed University)' to 'Chaitanya (Deemed University)'.

4. **And whereas**, with the approval of competent authority, the name of 'Chaitanya Institute of Science & Technology (Deemed University)' may be changed to 'Chaitanya (Deemed University)' subject to the conditions that all terms & conditions mentioned in this Ministry's Notification No.9-3/2017-U3(A) dated 29.11.2019 shall continue to be adhered by the Institution.



(V.L.V.S.S. Subba Rao)

Senior Economic Advisor


Tel: 011-23384245

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002.

Copy forwarded to: -

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110002.

2. The Principal, Chaitanya Degree College (Autonomous), Kishanpura, Hanamkonda, Dist. Warangal-506001, Telangana.
3. The Principal Secretary (Higher Education), State Government of Telangana, D Block, Secretariat Building, Hyderabad-500022, Telangana.
4. The Member Secretary, All India Council for Technical Education, Indira Gandhi Stadium, I. P. Estate, New Delhi - 110002.
5. The Vice-Chancellor, Kakatiya University, Warangal-506009, Telangana.
6. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.
7. The Secretary-General, Association of Indian Universities, A.I.U. House, 16, Kotla Marg, New Delhi - 110002.
8. Joint Director (Administration) & Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi with the request to issue necessary instructions to the CMIS Unit to display this notification on the website of Department of Higher Education.
9. Guard file / Notification file.


(V.L.V.S.S. Subba Rao)
Senior Economic Advisor
Tel: 011-23384245

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

सं. एफ. 9-3/2017-यू.3 (ए)

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 31 जनवरी, 2020

अधिसूचना

जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को समविश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. **और जबकि**, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम 1950 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर सामान्य श्रेणी के तहत संभावित तारीख के साथ पांच वर्षों की अवधि के लिए चैतन्य डिग्री कॉलेज (स्वायत्त) हनमकोंडा, वारंगल, तेलंगाना को 'चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान', वारंगल, तेलंगाना के नाम पर सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करते हुए दिनांक 29.11.2019 की अधिसूचना सं. 9-3/2017-यू.3 (ए) जारी की थी।

3. **जबकि**, विश्व भारती शिक्षा सोसायटी, वारंगल, जो कि सम-विश्वविद्यालय की प्रायोजक सोसायटी है, ने अपने दिनांक 09.12.2019 के पत्र के माध्यम से बताया है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग समान नामों के साथ अनेक संस्थाएँ हैं जो लोगों में असमंजस पैदा कर सकती हैं। तदनुसार, सम-विश्वविद्यालय के नाम को "चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (सम-विश्वविद्यालय) से "चैतन्य(सम-विश्वविद्यालय) में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है।

4. **और जबकि**, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ इस मंत्रालय की दिनांक 29.11.2019 की अधिसूचना सं. 9-3/2017-यू.3 (ए) में उल्लिखित सभी शर्तों एवं निबंधनों, जिनका संस्थान द्वारा अनुपालन जारी रखा जाएगा, के अध्यधीन "चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान समविश्वविद्यालय" के नाम को "चैतन्य (सम विश्वविद्यालय)" में परिवर्तित किया जा सकता है।

सुब्बा राव

(वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव)

वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

टेलिफोन: 011-23384245


प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड, नई दिल्ली-110002

प्रतिलिपि अग्रेषितः

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
2. प्रधानाचार्य, चैतन्य डिग्री कॉलेज (स्वायत्त), किशनपुरा, हनमकोंडा, जिला वारंगल-506001, तेलंगाना
3. प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा), तेलंगाना राज्य सरकार, डी-ब्लॉक, सचिवालय भवन, हैदराबाद-500022, तेलंगाना।
4. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इंदिरा गांधी स्टेडियम, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002
5. कुलपति, काकतिया विश्वविद्यालय, वारंगल-506009, तेलंगाना
6. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. महा-सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाऊस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002
8. संयुक्त सचिव (प्रशासन) और वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
अनुरोध है कि सीएमआईएस एकक को इस अधिसूचना को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक निर्देश दें।
9. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।



(वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव)

वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

टेलिफोन: 011-23384245